न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—60 / 2017 / 223 (2017 / 00060)

1. श्रीमती शांति पत्नि स्व0 रामेश्वर,
2. दुर्गालाल पुत्र स्व0 रामेश्वर,
3. श्रीमती सायरी पुत्री स्व0 रामेश्वर,
4. कालूराम पुत्र नारायण,
5. सत्यनारायण पुत्र नारायण,

सभी जाति बलाई, निवासी ग्राम बिसुन्दनी, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 9.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 247 / 2006.

उपस्थितः—

1. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 24.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांटस के पिता रामेश्वर, कालू, सत्यनारायण, मु0 धन्नी बेवा नारायण ने प्रतिवादी रेस्पो0 राज्य सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय मूं पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी संवत् 2023 में साबिक आराजी खसरा संख्या 920 मिन रकबा 10 बीघा जिसके संवत् 2041 मे खसरा नंबर 1186 कायम किये एवं हाल खसरा नंबर 951 रकबा 0.57 है0, 956 रकबा 0.49 है0, 957 रकबा 0.46 है0 एवं 968 / 3039 रकबा 0.06 है0 कायम किये गये जो ग्राम बिसुन्दनी में स्थित है । विवादित भूमियां वादी के पिता / पति नारायण पुत्र भोमा को दिनांक 18.6. 1961 को नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति केकड़ी द्वारा आवंटन की गई थी एवं आवंटन के बाद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में भूमि आवंटी की खातेदारी में दर्ज रही किन्तु इसके बाद विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त गलत

इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2015 द्वारा वादी/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तोर पर एकतरफा में लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि वादी के पिता/पति नारायण पुत्र भोमा को दिनांक 18.6.1961 को नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति केकड़ी द्वारा आवंटन की गई थी एवं आवंटन के बाद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में भूमि आवंटी की खातेदारी में दर्ज रही किन्तु इसके बाद विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । भू–प्रबंध विभाग को किसी खातेदार की खातेदारी निरस्त करने का अधिकार नहीं है केवल भू–प्रबंध विभाग को पूर्व के इंद्राज को दोहराना चाहिये था । विवादित भूमि पर आवंटन दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है इसी कारण अपीलांटस के विरूद्ध समय समय पर धारा 91 भू–राजस्व अधिव0 के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखली की कार्यवाही की गई है । विवादित भूमि पर अपीलांटस का एडवर्स पजेशन होने से भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के प्रकरण को राजस्व अभियान में एकतरफा में निर्णित किया है तथा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस जारी नही किया गया । अपीलांट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8.1.2017 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलांट को बताया कि प्रकरण का निस्तारण उनके विरूद्ध हो गया है । तब अपीलांट ने निर्णय की जानकारी कर तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक आरक्षित अंकित है। अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना निरन्तर कब्जा काश्त साबित करने में भी असमर्थ रहे है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस ने विवादित आराजियात आवंटन होने तथा विवादित आराजियात पर निरन्तर कब्जा काश्त होने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में अपीलांटस ने कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । इसके विपरीत विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक आरक्षित दर्ज है । जहां तक विवादित आराजियात पर अपीलांटस के निरन्तर कब्जे काश्त का प्रश्न है स्वंय अपीलांटस के कथनानुसार उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जाकर बेदखल किया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस का निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा है । विवादित भूमि वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 से आज दिवस तक राजस्व रिकार्ड में सिवायचक आरक्षित दर्ज है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील के कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर